

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ई:मेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 132 / 12-1
सेवा में,

नई टिहरी, दिनांक- 16/07/2019

विषय:- वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।
जनपद टिहरी गढवाल के विकास घनसाली में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per MK) From Sendul to Pipoladhar to Kaunti Village (Total length-17.500 Km.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित वन भूमि 0.525 है० का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (FP/UK/OFC/39465/2018)

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय द्वारा उठाई गई आपत्ति दिनांक:-27-06-2019।

महोदय,

प्रश्नगत परियोजना निर्माण पर उठाई गई आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित


है:-

आपत्ति:- DFO may clarify, whatever this RoW--right of way--has approved under FC clearance at the time of construction.

निराकरण:- प्रश्नगत परियोजना का निर्माण परियोजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के अनुसार पूर्व निर्मित मोटर मार्ग हेतु स्वीकृति प्राप्त चौड़ाई के अन्तर्गत मोटर मार्ग के किनारे-किनारे किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परियोजना का निर्माण जिन मोटर मार्गों के किनारे किया जाना है उन मोटर मार्गों को प्रदान की गई स्वीकृति एवं RoW (right of way) का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	स्वीकृति प्राप्त मोटर मार्ग का विवरण जिसके किनारे प्रश्नगत परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है				अभ्युक्ति
	मोटर मार्ग का नाम	क्षेत्रफल (है०)	स्वीकृति शासनादेश संख्या व दिनांक	परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त चौड़ाई (RoW) (मी०)	
1	2	3	4	5	6
1	सेन्दुल-पटुडगांव मोटर मार्ग	2.364	587 / 7-1-2002-600(235)2002, दिनांक:-28-12-2002	9.00	विषयगत परियोजना का निर्माण स्वीकृत चौड़ाई (9.00 मी०) के भीतर मोटर मार्ग के किनारे किया जाना प्रस्तावित है।
2	सेन्दुल-पटुडगांव मोटर मार्ग के कोन्ती पटुडगांव मोटर मार्ग	1.9845	एस०जी०-147 / x-1-09(08)2014, दिनांक:-24-09-2014	9.00	

भवदीय


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी